न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 23/2022 (GCMS No. 2022/25) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मुकेश पुत्र बीरेन्द्र जाति ठाकुर उम्र करीब 40 वर्ष निवासी नगला वीधौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 08.08.2019 मुकदमा नं. 19/19 उनवानी मुकेश बनाम सरकार एवं निर्णय नायब तहसीलदार कंचनपुर दिनांक 19.02.2019 प्रकरण संख्या 151/19 उनवानी सरकार बनाम मुकेश।

उपस्थितिः–

1. श्री रामअवतार गौड, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य **दिनांक : 22.06.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 08.08.2019 एवं नायब तहसीलदार कंचनपुर के आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार कंचनपुर द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 292 रकवा 84 बीघा 2 विस्वा बाके ग्राम नगला बीधौरा तहसील बाडी की उप तहसील कंचनपुर में से रकवा 2 बीघा 6 विस्वा पर अतिचार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

मानकर एक माह के सिविल कारावास तथा 518 रूपये की पैनल्टी अधिरोपित करने का आदेश दिनांक 19.02.2019 को पारित किया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर में प्रस्तुत की, जो अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर ने बिना किसी समुचित कारण के दिनांक 08.08.2019 को खारिज कर दिया। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर के समक्ष अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा किसी प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील मीमो पर कतई गौर नहीं किया गया। अपीलान्ट अपनी अपील में स्पष्ट तौर पर यह कहकर आया है कि अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह के सिविल कारावास से दडित किये जाने का कठोर आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आया। जिससे यह प्रतीत होता हो कि विवादित आराजी पर भी कब्जा रहा हो या किसी आदेश के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी से वेदखल किया हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बहुत बडी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलान्ट ने प्रकरण में समुचित पैरवी हेतु श्री रनवीर सिंह परमार एडवोकेट पूरी तय शुदा फीस देकर नियुक्त किया था जबकि वकील सहाब ने मुझ अपीलान्ट को पूर्ण आश्वत किया कि तुम्हारी अपील मैने प्रस्तुत कर दी है तुम्हारी जरूरत होगी तब बुला लूँगा। अपीलान्ट इस विश्वास में रहा कि आवश्यकता पडने पर वकील सहाब अपने आप बुला लेंगे। चूँकि दिनांक 07.03.2022 को अपीलान्ट अपने अन्य काम से कचहरी धौलपुर आया तथा वकील सहाब से सम्पर्क किया तब बताया कि तुम्हारा केस तो 2019 में ही खारिज हो गया। तत्पश्चात अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णयों की नकल हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के यहाँ दिनांक 09.03.2022 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट रूपये पैसों का इन्तजाम ज्ञान के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अन्दर अवधि अपील की है। अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसमें अपीलान्ट की कोई गफलत या लापरवाही नहीं है बल्कि वकील ने समय पर अपीलान्ट को सूचना प्रदान नहीं की जिसके लिए अपीलान्ट को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया गया है। अतः नरम रूख अपनाते हुये सजा को माफ किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर के समक्ष कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र पेश कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार कंचनपुर दिनांक 19.02.2019 व न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 08.08.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान व घटना वही से भी होती है। बावजूद नोटिस तामील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए। विवादित आराजी पर यदि अपीलान्ट का कब्जा नहीं था, तो उनके द्वारा जुर्माना राशि क्यों अदा की गई। अपील अपीलान्ट बिना उचित कारण के मियाद बाहर भी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध दिनांक 11.03.2022 को न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील पेश की गई। अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा गलत तथ्यों के कारण अपील में देरी होने का उल्लेख किया है। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र पर उल्लेखित तथ्यों से देरी किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अपील प्रस्तुत करने में हुये बिलम्व को कन्डोन किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अपने तर्कों में मुख्य कथन यह किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप में काबिज नहीं है। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी दिनांक 08.02.2019, हल्का पटवारी नगला बीधौरा के बयान खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

परिवर्तनशील (पी–14) से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 की विधिवत तामील अपीलान्ट को हो चुकी थी। फसल नीलामी कार्यवाही की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट को बेदखल कर खडी फसल को कब्जेराज लिया गया तथा नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार कंचनपुर की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.07.2020 के अनुसार विवादित आराजी पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में चूँकि वर्तमान में आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा शेष नहीं रहा। तद्नुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अपील आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार कंचनपुर के यहॉ विवादित आराजी पर भविष्य में अतिक्रमण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2019 में उल्लेखित 1 माह के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश वदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.06.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर